बेसमेंट में अल्ट्रा सोनोग्राफी, एक्स- रे सेंटर और पैथालॉजी लैब संचालित



नवभारत न्यूज

भिंड 23 नवम्बर. स्वास्थ्य विभाग और नगरीय निकाय की सांठगांठ से निजी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन मनमाने तरीके से हो रहा है। आलम यह है कि एक्स- रे सेंटर, अल्ट्रा सोनोग्राफी सेंटर औरं पैथालॉजी लैब सहित अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां बेसमेंट में संचालित

स्वास्थ्य विभाग और नगरीय निकाय की सांठगांठ से हो रहा संचालन

हो रही हैं जबकि नियमानुसार बेसमेंट का उपयोग केवल पार्किंग के लिए किया जा सकता है। यह गतिविधियां कहीं और नहीं जिला अस्पताल के सामने की ओर धड़ल्ले से चल रही हैं। इतना ही नहीं इन भवनों में डॉक्टर्स के क्लीनिक भी संचालित हो रहे हैं। इनमें कभी- कभी डॉक्टर्स को अस्पताल की ओपीडी के समय में भी बैठे हुए देखा जा रहा है।

जानकारी मुताबिक नगर निकाय के बिल्डिंग परमिशन नियमों के अनुसार बेसमेंट में पार्किंग के अलावा किसी भी प्रकार की क्लीनिकल या अन्य किसी व्यवसायिक गतिविधि का संचालन नहीं हो सकता है। लेकिन यहां जिला अस्पताल के सामने पारस जैन अल्ट्रासाउंड और पुराना पचासा लेन स्थित महावीर अल्ट्रासाउंड सेंटर एवं पैथालॉजी लैब संचालित है। सडक़ के पार एक नहीं कई भवनों में क्लीनिक ही नहीं एक्स-रे सेंटर, पैथालॉजी लैब, मेडिकल स्टोर्स आदि संचालित हो रहे हैं। पूर्व में जब इस प्रकार की नियम विरुद्ध गतिविधियों को लेकर संबंधित विभागों का ध्यानाकर्षित कराया गया तो नामचार के लिए चैकिंग की और इसके साथ ही दिखावे के लिए सील किए जाने की प्रक्रिया की गई। लेकिन हकीकत यह रही कि इनके संचालकों से सांठगांठ कर ली गई।



नियम विरुद्ध संचालन के विरुद्ध उठे सुर

राजीनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा समय- समय पर इन नियमविरुद्ध गतिविधियों को लेकर आवाज उठाईजाती रही है। कांग्रेस जिला महासचिव राघवेंद्र कांकर द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को 1 अक्टूबर 2026 को शिकायत की गई। इसके बाद भी अब तक प्रभावी कार्रवाई का अभाव बना हुआ है। लोगों का कहना है कि नियमों की अनदेखी पाई जाने पर उक्त अल्ट्रासाउंड सेंटर का लाइसेंस तत्काल निरस्त कर सेंटर सील किया जाना चाहिए। भवन स्वामी पर नगर पालिका अधिनियम के तहत बेसमेंट के अवैध व्यावसायिक उपयोग का केस दर्ज होना चाहिए। इसके साथ रही जिला अस्पताल के सामने के सभी व्यावसायिक भवनों का फायर ऑडिट और नक्शा-जांच अभियान चलाया जाना चाहिए।

बिना पार्किंग और फायर एनओसी के संचालन

स्वास्थ्य से जुड़ी इन महत्वपूर्ण गतिविधियों को संचालन बिना पार्किंग और फायर एनओसी के किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप दिन भर मुख्य सडक़ पर जाम के हालात निर्मित रहते हैं और दुर्घटना की आशंका रहती है। बताया गया है कि इन भवनों का नक्शा व्यावसायिक तौर पर पास ही नहीं है, फिर भी यहां मरीजों का आना-जाना लगा रहता है। सबसे बड़ा सवाल- जिला अस्पताल के सामने होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका की आंखें क्यों बंद हैं? इस से मार्ग से एक ओर ग्वालियर-इटावा की ओर लोगों का आवागमन होता है दूसरी ओर शहरवासियों की बड़ी संख्या में आवाजाही होती है। आलम यह है उक्त भवन में सामने मुख्य सडक़ पर वाहनों के जमावड़े से आवागमन करने वालों को भी परेशानी का सामना करने को मजबूर होना पड़ रहा है।

नियमों के तहत क्या यह नहीं होना चाहिए :

1. पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत क्लीनिक, पैथालॉजी सेंटर, अल्ट्रासाउंड सेंटर हवादार, सुरक्षित और आपातकालीन निकासी वाली जगह पर होना चाहिए, बेसमेंट में नहीं।
2. फायर सेफ्टी के लिहाज से बेसमेंट में क्लीनिक, पैथालॉजी सेंटर व अल्ट्रा सोनोग्राफी सेंटर्स चलाना बेहद खतरनाक है।
3. नगर पालिका अधिनियम में बेसमेंट का उपयोग सिर्फ पार्किंग के लिए ही मान्य है। इसके बाद भी अन्य गतिविधियां संचालित हो रही हैं।

महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़

बेसमेंट में चल रहे अल्ट्रा सोनोग्राफी सेंटर, एक्स- रे सेंटर और पैथालॉजी लैब में गर्भवती महिलाओं सहित अन्य मरीजों की जांच होती है। जहां इमरजेंसी में बाहर निकलने का सुगम रास्ता तक नही हैं। यदि शॉर्ट सर्किट या आगजनी हुई तो क्या होगा? फायर ब्रिगेड से पानी तक अंदर नहीं पहुंच पाएगा। यह सिर्फ नियम का उल्लंघन नहीं, सीधे-सीधे मानव जीवन से खिलवाड़ है। स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका की अनदेखी तो है ही, इसके अलावा जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारीगण भी इस खतरे से अनजान बने हुए हैं।

जांच कर की जाएगी कार्रवाई

पूर्व में भी महावीर अल्ट्रा सोनोग्राफी सेंटर की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया था। वर्तमान में जांच में इस सेंटर के अलावा अन्य पर यदि किसी प्रकार की लापरवाही या नियमों में उल्लंघन पाया जाता है तो ऐसे सेंटर्स के लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

आरएस सेमल, जिला स्वास्थ्य अधिकारी।



मथुरा में भीषण सड़क हादसा, भिंड के एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

नवभारत न्यूज

भिंड 23 नवम्बर. मथुरा में सोमवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में भिंड के एक ही परिवार के चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए। परिवार के नौ सदस्य स्विफ्ट कार से धार्मिक यात्रा पर मथुरा आए थे। वृंदावन और बरसाना में दर्शन करने के बाद सभी रमणरेती जा रहे थे। इसी दौरान सुबह करीब 7:30 बजे जैंत थाना क्षेत्र में राम धर्म कांटा के पास उनकी कार हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

दबोहा गांव से धार्मिक यात्रा पर गया था परिवार

पुलिस के मुताबिक भिंड जिले के दबोहा गांव निवासी देवाशीष अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ धार्मिक यात्रा पर मथुरा आए थे। कार में कुल नौ लोग सवार थे। सोमवार सुबह बरसाना से रमणरेती जाते समय उनकी कार ग्वालियर से डस्ट लेकर जा रहे ट्रक से टकरा गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

कार में फंसे लोगों को मशक्कत के बाद निकाला

हादसे के बाद कार में सवार लोगों के बीच चीख-पुकार मच गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने चार लोगों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान रुद्र (4), कान्हा (10), रूबी (32) और ज्योति (30) के रूप में हुई है। हादसे में घायल आशा, देवाशीष, गिरजा, पलक और गौरी का उपचार कराया जा रहा है।

एक नजर में



पार्षद ने सफाई कर्मचारियों को किया सम्मानित

भिंड 23 नवम्बर. शहर के वार्ड क्रमांक 27 में दीपावली के अवसर पर सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने वाले कर्मचारियों का सम्मान किया गया। कांग्रेस पार्षद स्वदेश उर्फ बंटी कुशवाह ने सोमवार को कार्यक्रम आयोजित कर वार्ड में साफ-सफाई का कार्य करने वाले कर्मचारियों को फूल-माला पहनाकर और उपहार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर पार्षद स्वदेश उर्फ बंटी कुशवाह ने कहा कि वार्ड को साफ-सुथरा रखने में सफाई कर्मचारियों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये कर्मचारी सुबह से देर शाम तक नालियों की सफाई, कचरा उठाने और सड़कों को स्वच्छ रखने का काम करते हैं। उनके परिश्रम से वार्ड में गंदगी नहीं फैलती और लोग बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं। उन्होंने कहा कि समाज में सफाई कर्मचारियों का सम्मान सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि वे हर मौसम में बिना किसी शिकायत के अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। सम्मान पाकर सफाई कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी।

ग्वालियर में 27 दिसंबर को होगा प्रजापति समाज की प्रतिभाओं का सम्मान

भिंड 23 नवम्बर. मध्यप्रदेश के सभी जिलों के प्रजापति समाज के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं के साथ चंबल संभाग को छोड़कर भिंड जिले के विद्यार्थियों का ग्वालियर में सम्मान किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रजापति हितकारिणी महासभा (रजि.) द्वारा तृतीय प्रतिभा सम्मान एवं प्रजापति गौरव रत्न अलंकरण समारोह-2026 का आयोजन रविवार को ग्वालियर में किया जाएगा। समारोह के लिए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का पंजीयन प्रारंभ हो चुका है। खास बात यह है कि पंजीयन पूरी तरह नि:शुल्क रखा गया है। आयोजन के संबंध में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ख्यालेन्द्र प्रजापति ने बताया कि पंजीयन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक छात्र-छात्राएं निर्धारित समय सीमा में अपना पंजीयन अवश्य कराएं, ताकि उन्हें सम्मान समारोह में शामिल होने का अवसर मिल सके।

झलकारी बाई जयंती पर होगा रक्तदान शिविर का आयोजन



गोहद 23 नवम्बर. माहौर कोली समाज सेवा समिति के मीडिया प्रभारी विनोद माहौर के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रतिवर्ष की भाती इस वर्ष भी अमर शहीद वीरांगना मां झलकारी बाई जी की जयंती कोली समाज के द्वारा 24 नवंबर को हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है जिसमें रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है जयंती कोली समाज की धर्मशाला से सुबह 09 बजे चलसमारोह के रूप में प्रारंभ होकर अटलचौक गंजबाजार दाऊजी मंदिर होते हुए सदर बाजार इटायलीगेट से नया बस स्टैंड स्थित आंबेडकर पर में सभा के रूप में परिवर्तित होगी।



विशेष लोक अदालत में 16 चेक बाउंस मामलों का राजीनामे से हुआ निराकरण

भिंड 23 नवम्बर. मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार शनिवार को भिंड जिले में परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक बाउंस से संबंधित मामलों के निराकरण के लिए विशेष लोक अदालत आयोजित की गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के .एस. बारिया के निर्देशन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उपदेश राठौर के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय भिंड सहित न्यायिक तहसील मेहगांव, गोहद और लहार में लोक अदालत का आयोजन किया गया। विशेष लोक अदालत में मामलों के निराकरण के लिए जिला मुख्यालय भिंड में 2, मेहगांव में 2, लहार में 1 और गोहद में 2 खंडपीठों का गठन किया गया। इस प्रकार जिले में कुल 7 खंडपीठों के माध्यम से सुनवाई की गई। लोक अदालत में धारा 138 के तहत न्यायालयों में लंबित 16 प्रकरणों का पक्षकारों की आपसी सहमति और राजीनामे के आधार पर निराकरण किया गया। इन मामलों में कुल 60 लाख 38 हजार 121 रुपए की समझौता राशि तय हुई।विशेष लोक अदालत के दौरान जिला न्यायालय भिंड में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की खंडपीठ क्रमांक-2 के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रकरण का आपसी सहमति से निराकरण किया गया। प्रकरण क्रमांक 06/2021 में मेघनाथ सिंह विरुद्ध शैलेन्द्र सिंह के बीच धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत चेक अनादरण का मामला लंबित था। यह प्रकरण 8 सितंबर 2020 से न्यायालय में विचाराधीन था।



सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें लंबित तो अधिकारियों का वेतन भी रुकेगा :कलेक्टर

भिंड 23 नवम्बर. कलेक्टर पवन जैन की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समय-सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएम हेल्पलाइन की विभागवार शिकायतों, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के लंबित प्रकरणों, स्वामित्व रजिस्ट्री, फार्मर रजिस्ट्री सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को लंबित मामलों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि प्रत्येक शिकायत का विभागीय अधिकारी गहनता से परीक्षण करें और तत्परता से निराकरण सुनिश्चित करें। विशेष रूप से 50 और 100 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों का समय-सीमा में संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन विभागों में सीएम हेल्पलाइन की प्रगति कम है और शिकायतें लंबित हैं, वहां संबंधित आहरण-संवितरण अधिकारियों का वेतन लंबित शिकायतों के निराकरण तक आहरित नहीं किया जाएगा।

अवैध ई-रिक्शों पर प्रशासन की सख्ती, बड़ी संख्या में वाहन जब्त

नवभारत न्यूज

भिंड 23 नवम्बर. शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारु और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित ई-रिक्शों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। कलेक्टर पवन जैन की अध्यक्षता में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिए गए निर्देशों के पालन में जिला परिवहन अधिकारी राजेन्द्र सोनी के नेतृत्व में परिवहन विभाग की टीम ने कार्रवाई की। इस दौरान अन्य राज्यों में पंजीकृत और नियमों के विरुद्ध संचालित बड़ी संख्या में रिक्शे जब्त किए गए। संबंधित वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

अन्य राज्यों में पंजीकृत और बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई- प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में संचालित अन्य राज्यों में पंजीकृत या बिना नंबर प्लेट वाले रिक्शों और ई-रिक्शों को जब्त कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभियान का उद्देश्य सड़कों पर केवल वैध दस्तावेजों और निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित वाहनों को ही अनुमति देना है, ताकि यातायात जाम और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका कम हो सके।



दो पालियों में चलेंगे ई-रिक्शे:

सड़क सुरक्षा समिति के निर्णय के अनुसार नंबर प्लेट लगे पंजीकृत ई-रिक्शों की कलर कोडिंग की जा रही है। इसके तहत शहर में ई-रिक्शों का संचालन दो अलग-अलग पालियों में किया जाएगा। इससे एक ही समय में सड़कों पर ई-रिक्शों की संख्या नियंत्रित रहेगी और यातायात का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। अब तक 300 ई-रिक्शों की कलर कोडिंग पूरी की जा चुकी है।

दो से तीन दिन में पूरा होगा शेष काम

प्रशासन ने शेष सभी पंजीकृत ई-रिक्शों की कलर कोडिंग अगले दो से तीन दिनों में अभियान के रूप में पूरी करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद सभी ई-रिक्शे निर्धारित नियमों के अनुसार अपनी-अपनी पाली में संचालित होंगे। प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से यात्रियों को व्यवस्थित परिवहन सुविधा मिलेगी और शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा।

सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी

नवभारत न्यूज

लहार23 नवम्बर. नगर लहार में शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और आम रास्ते को बहाल करने की मांग को लेकर अनुसूचित जाति संघर्ष समिति लहार का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। दशहरा मैदान भाटनताल पर चल रहे इस धरना प्रदर्शन को आज 840 दिन पूरे हो गए, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांग पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसके चलते आंदोलनकारी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं।

जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति संघर्ष समिति



लहार द्वारा शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 2711 एवं 2715 का सीमांकन कराए जाने के उपरांत भी कथित अतिक्रमणकारियों के कब्जे से भूमि मुक्त नहीं कराए जाने के विरोध में 5 अगस्त 2024 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया था। यह मामला पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की कोठी के अंदर स्थित आम रास्ते और उससे जुड़ी शासकीय भूमि पर कथित अतिक्रमण को लेकर भी चर्चा में रहा है। समिति की मांग है कि प्रशासन सीमांकित शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर आम रास्ते को सुचारू रूप से बहाल कराए।

बाबूलाल टैगोर के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन में अनुसूचित जाति सहित अन्य समाज के लोग भी लगातार अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। धरना स्थल पर लगाए गए बैनर के माध्यम से प्रदर्शनकारी अनुसूचित जाति पर हो रहे अन्याय और अत्याचार के विरोध में न्याय की मांग उठा रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब शासकीय भूमि का सीमांकन हो चुका है, तो फिर उसे अतिक्रमण मुक्त कराने में देरी क्यों की जा रही है? आखिर प्रशासन द्वारा अब तक कब्जा हटाने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई

840वें दिन भी मिला समर्थन- धरना प्रदर्शन के 840वें दिन बच्चूलाल विश्वकर्मा, रामनारायण नेताजी, हरगोविंद सिंह बघेल, देवेंद्र सिंह, जसमंत सिंह कुशवाह, रामदास जाटव, रामप्रसाद मुखिया, सोनेलाल रायपुरिया, बंटू सिंह कुशवाह, पप्पू ड्राइवर, प्रदीप गुप्ता, केदार सिंह परिहार और आज्ञाराम शाक्य सहित अन्य लोग धरना स्थल पर पहुंचे।

IIFL FINANCE

आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड | CIN: L67100MH1995PLC093797
पंजीकृत कार्यालय: आईआईएफएल हाउस, सन इम्पीटेक पार्क, रोड नंबर 16वी, प्लॉट नंबर बी-23, ठाणे इंडस्ट्रियल एरिया, वागले एस्टेट, ठाणे - 400604
फ़ोन: 022-41035000 • फ़ैक्स: 022-25806654 • टोल-फ़्री: 1860-267-3000
ई-मेल: gold-helpline@iifl.com • वेबसाइट: www.iifl.com

सार्वजनिक सूचना - गिरवी रखे गए सोने की नीलामी

संबंधित उधारकर्ताओं/कानूनी उत्तराधिकारियों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड ("आईआईएफएल") - जो भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है - यहाँ बताए गए लोन अकाउंट्स में गिरवी रखे गए सोने की सार्वजनिक नीलामी करेगी, जहाँ उधारकर्ता ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के समय-समय पर जारी निर्देशों ("RBI निर्देश"), लोन एग्रीमेंट की शर्तों और आईआईएफएल के बोर्ड से मंज़ूर गोल्ड लोन पॉलिसी के अनुसार, संचार के उपलब्ध माध्यमों से नीलामी का नोटिस और रिमाइंडर मिलने के बावजूद अपने लोन अकाउंट का भुगतान नहीं किया है या उसे नियमित नहीं किया है।

नीलामी की तारीख, समय और जगह: सार्वजनिक नीलामी **03.12.2026 को सुबह 10:00 बजे से** आईआईएफएल की इस ब्रांच में होगी: **भिंड-भिंड लश्कर रोड जीएल, आईआईएफएल गोल्ड लोन, ग्वालियर रोड, भिंड लश्कर रोड, जैन मंदिर के पास, एचडीएफसी बैंक के ऊपर, भिंड-477001, मध्य प्रदेश।**

यह नीलामी उसी ज़िले में मौजूद लोन देने वाली शाखाओं के लोन अकाउंट से जुड़ी है।

गोल्ड लोन अकाउंट का विवरण: लोन अकाउंट नंबर- GL45723950, GL42726624, GL43073704, GL44062889, GL38935762, GL36659529, GL43045728, GL43045802, GL42916804, GL36670407, GL45719711, GL47769330, GL38938380, GL42725909, GL46522798, GL45487887, GL48346217, GL50798264, GL36932984, GL42984015, GL42726722, GL44065476, GL44056015, GL42182666, GL47929206, GL46735238, GL46737273, GL41718214, GL43052445, GL50754715, GL49388755, GL42726466, GL39076361, GL50760613, GL42981123, GL46056076, GL42726228, GL44045186, GL50801037, GL41711080, GL42699215, GL39782359, GL39782340, GL39782345, GL43113337, GL50756209, GL48183916, GL45808519, GL45579471, GL37238000, GL37670043, GL44329016, GL50755920, GL45427677.

डिफ़ॉल्ट करने वाले उधारकर्ता (उधारकर्ताओं) के नाम, गिरवी रखे गए सोने की जानकारी और संबंधित शाखा का पता संबंधित शाखा और ऊपर बताए गए नीलामी केंद्र पर देखा जा सकता है। साथ ही, यह जानकारी आईआईएफएल कस्टमर केयर 1860-267-3000 या www.iifl.com से भी प्राप्त की जा सकती है।

नीलामी से पहले भुगतान का अधिकार: उधारकर्ता/उनके कानूनी वारिस ऋण समझौते और मुख्य तथ्य के विवरण (KFS) में उल्लिखित ब्याज और लागू शुल्क सहित संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं और नीलामी की तारीख तक किसी भी समय लोन एकाउंट बंद या नियमित कर सकते हैं, जिसके बाद खाते को नीलामी से हटा लिया जाएगा।

इस प्रकाशन की तारीख या उसके बाद बंद किए गए या नियमित किए गए खातों से आनुपातिक प्रकाशन शुल्क वसूल किया जाएगा।

मृत उधारकर्ता: यदि कोई उधारकर्ता मृत है, तो यह सूचना और नीलामी की शर्तें उधारकर्ता के कानूनी वारिसों पर लागू होंगी।

आरक्षित मूल्य: नीलामी, RBI के निर्देशों के अनुसार तय किए गए गिरवी रखे सोने की मौजूदा कीमत के कम से कम 90% (उन लोन अकाउंट के लिए 85% जिनकी नीलामी दो बार फेल हो चुकी है) के आरक्षित मूल्य पर होगी।

बिक्री का आधार: नीलामी "जैसी है, जहाँ है", "जैसी है, वैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर की जाएगी। बोली लगाने के इच्छुक लोगों को सलाह दी जाती है कि वे बोली लगाने से पहले दिखाए गए गिरवी रखे सोने की जानकारी देख लें और खुद संतुष्ट हो लें।

स्थगन / वापसी: आईआईएफएल दर्ज किए जाने वाले कारणों से नीलामी को स्थगित कर सकता है या किसी भी लोन अकाउंट को उससे वापस ले सकता है, जिसमें खाते का पुनर्भुगतान या नियमितीकरण, किसी अदालत या प्राधिकरण के आदेश, या परिचालन संबंधी आवश्यकताएं शामिल हैं।

अगर यहाँ बताई गई तारीख पर नीलामी नहीं हो पाती या पूरी नहीं हो पाती है, तो आईआईएफएल अपनी मर्ज़ी से और उचित सूचना देकर, बाद की किसी तारीख पर उसी ज़िले या आस-पास के ज़िले में नीलामी कर सकता है या उसे जारी रख सकता है, या फिर ऑनलाइन नीलामी भी कर सकता है।

हितों का कोई टकराव नहीं: RBI के निर्देशों का पालन करते हुए, आईआईएफएल और उससे जुड़े पक्षकार नीलामी में भाग नहीं लेंगे।

नीलामी से मिली रकम: नीलामी में मिली राशि और समायोजित की गई बकाया राशि की पूरी जानकारी उधारकर्ता (उधारकर्ताओं) / कानूनी उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों) को दी जाएगी। अगर कोई अतिरिक्त रकम बच जाती है, तो नीलामी से मिली पूरी रकम मिलने के सात कामकाजी दिनों के भीतर उसे वापस कर दिया जाएगा (यह उधारकर्ता की बैंकिंग जानकारी उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा); इसलिए उधारकर्ताओं से अनुरोध है कि वे संबंधित लोन देने वाली शाखा में अपने बैंक अकाउंट की नवीनतम जानकारी अपडेट कर लें। अगर यह राशि कम है, तो उसे ऋण समझौते के अनुसार वसूला जाएगा।

विस्तृत जानकारी और नियमों व शर्तों के लिए, कृपया आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड की संबंधित लोन देने वाली शाखा (पता अकाउंट लिस्ट के साथ दिखाया गया है) या आईआईएफएल कस्टमर केयर से 1860-267-3000 पर संपर्क करें।

तारीख: 24.11.2026
स्थान: भिंड

हस्ताक्षर/-
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड

एबीवीपी ने किया संगोष्ठी का आयोजन खिलाड़ियों का किया सम्मान

नवभारत न्यूज

लहार 23 नवम्बर. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लहार के शासकीय महाविद्यालय कैंपस इकाई द्वारा स्त्री शक्ति दिवस एवं वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जयंती के उपलक्ष्य में संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया.कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. मैथिली शरण त्रिपाठी जी उपस्थित रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि महारानी लक्ष्मीबाई का जीवन नारी शक्ति, साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक है।

वहीं मुख्य वक्ता के रूप में



जिला संयोजक सूर्या भदौरिया ने अपने उद्बोधन में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस, शौर्य, स्वाभिमान एवं राष्ट्रभक्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय इतिहास में नारी शक्ति का योगदान अत्यंत गौरवशाली रहा है। कार्यक्रम का आभार व्यक्त करते हुए कॉलेज कैंपस अध्यक्ष सुयश उपाध्याय ने सभी अतिथियों, प्राध्यापकों एवं उपस्थित छात्र-छात्राओं का धन्यवाद किया। मंच पर कॉलेज मंत्री पंकज परिहार भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रांत कार्यकारिणी सदस्य शिवा भदौरिया, नीलेश भारद्वाज (नीलू), नगर उपाध्यक्ष प्रोफेसर आशीष शर्मा जी, प्रोफेसर श्रेष्ठ त्रिपाठी जी, करन प्रजापति, देव पचौरी, निखिल भटेले, रवि कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे.

बंधा रोड पार्क में गायत्री परिवार ने मनाई देव दीपावली

गोहद 23 नवम्बर. गायत्री परिवार द्वारा रविवार को देव दीपावली का पर्व बड़ी श्रद्धा, भक्ति और धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन बंधा रोड पार्क में वैसली नदी के तट पर किया गया, जहां 2100 दीपक जलाकर दीप यज्ञ संपन्न हुआ। दीपों की रोशनी से पूरा नदी तट जगमगा उठा और वातावरण भक्तिमय हो गया। सभी ने विधि-विधान से यज्ञ में आहुतियां दीं और विश्व शांति, सुख-समृद्धि, सद्बुद्धि व समाज कल्याण की कामना की। दीप प्रज्वलन के उपरांत नदी किनारे आतिशबाजी भी की गई, जिसे देखकर उपस्थित लोगों में उत्साह छा गया। कार्यक्रम में शैलेंद्र सिंह भदौरिया,रामकुमार गौड़, सुभाष अग्रवाल, जगदीश गुप्ता,सुमित गुप्ता, श्रीमती रजनी गांगिल, श्रीमती सुलेखा सिंगल, श्रीमती प्रेमलता गुप्ता सहित गायत्री परिवार के अनेक भाई-बहन सम्मिलित हुए।